न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/109/2023

अपीलांट यशपाल सिंह पुत्र देवीसिंह
निवासी ग्रा/पो मोकलसर तहसील सिवाना ज़िला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश

दिनांक : 27.06.2023

अपीलार्थी यशपाल सिंह पुत्र देवीसिंह निवासी ग्रा/पो मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी सिवाना के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 24.04.2023 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील इस कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 351436 दिनांक 04.01.2023 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील निर्धारित मयाद अवधि के बाहर होने से जरिये नोटिस विलम्ब का कारण स्पष्ट करने हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी निर्धारित सुनवाई तिथि को उपस्थित नहीं हुआ और न ही अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने बाबत कोई संतुष्टिपरक कारण प्रकट किया हैं। फलतः यह अपील मयाद बाहर होने से श्रवणार्थ विचार योग्य प्रतीत नहीं होती है।

अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन एवं मयाद बाहर होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 27.06.2023 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arun Kumar Purohit
Date: 2023.07.21 12:19:01 IST
Reason: SelfAttested

(अरूण कुमार पुरोहित)
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर